# न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आइ0ए0एस0

रसद आवेदन सं. 46/2016

| प्रार्थी– | <u>*बनाम*</u> | अप्रार्थीगण– |
| --- | --- | --- |
| राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, बालोतरा | | 1. नाथुसिंह पुत्र श्री बसंतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी सुराणा थाना सायला जिला जालोर<br>2. शंकरलाल पुत्र नारणाराम जाति प्रजापत निवासी गालानाडी थाना सिणधरी जिला बाड़मेर<br>3. मंगलाराम चौधरी पुत्र कानाराम जाति चौधरी निवासी वरीया भगजी थाना बालोतरा जिला बाड़मेर<br>4. गिरधारीसिंह पुत्र टिकमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी कालुड़ी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर |

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955</u>

उपस्थिति :–
1. अभियोजन अधिकारी, प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री करनाराम चौधरी, अप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

## <u>निर्णय</u>

दिनांक : 09/07/2019

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 24.06.2016 को थानाधिकारी पुलिस थाना बालोतरा द्वारा प्रार्थी को जरिये तहरीर सूचित किया गया कि पुलिस चौकी नाकोड़ा द्वारा दौराने गश्त बोलेरो पिक अप गाड़ी मे नीले केरोसीन से भरे ड्रम अवैध रूप परिवहन करते हुए पकड़े गये है, जिसकी जांच की जावें। इस पर जिला रसद अधिकारी बाड़मेर के निर्देशानुसार प्रार्थी द्वारा मौका पर पहुंचकर सफेद कलर की बोलेरो पिकअप वाहन मे भरे हुए 07 लोहे के ड्रमों मे तरल पैट्रोलियम पदार्थ को स्वच्छ कांच के जार मे जांचने, सूंघने, देखने पर नीले

जिला कलक्टर
बाड़मेर



Scanned by CamScanner

रंग का पैट्रोलियम पदार्थ जो नीला केरोसीन प्रतीत होने पर वाहन मालिक नाथूसिंह से पूछताछ करने पर बताया कि मंगलाराम चौधरी निवासी वरिया तगजी द्वारा उचित मूल्य दुकान मेवानगर से लेकर अपने गांव मे ट्युबवैल पर ट्रेक्टर पर ईंधन के रूप मे काम मे लेने हेतु परिवहन किया जा रहा था। इस पर बरामद 07 ड्रमो के नीले कलर का पैट्रोलियम पदार्थ (नीला केरोसीन) जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य दुकानों के मार्फत राशन कार्ड धारियों को वितरण किया जाता है, का अवैध परिवहन करने व कब्जे मे रखे पाये जाने व खाना पकाने और प्रदीपन से भिन्न उपयोग का संदेह होने पर केरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993, राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का उल्लंघन होने से उक्त 07 ड्रमों मे रखा गया नीला केरोसीन मात्रा 1500 लीटर मय परिवहन मे प्रयुक्त सफेद कलर की बिना नम्बरी बोलेरो पिकअप वाहन जब्त किया गया। जब्तशुदा नीला केरोसीन से सैम्पल एवं धोवन हेतु लिये गये 3 लीटर केरोसीन के अलावा शेष केरोसीन मौके पर ही श्री गोविन्दराम पुत्र सीताराम माली निवासी वार्ड सं. 35 बालोतरा उचित मूल्य दुकानदार वार्ड सं. 16 बालोतरा को सुपुर्दगीनामा पर सुपुर्द किया गया। प्रकरण मे प्रार्थी द्वारा जांच उपरांत अप्रार्थी श्री नाथूसिंह वाहन मालिक बिना नम्बरी सफेद बोलेरो पिकअप वाहन व श्री शंकरलाल पुत्र श्री नारणाराम जाति प्रजापत निवासी गालानाडी पुलिस थाना सिणधरी द्वारा अपने वाहन का सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नीला केरोसीन कालाबाजारी हेतु अवैध परिवहन करने, कब्जे मे रखने, अवैध रूप से संग्रह करने तथा श्री मंगलाराम चौधरी पुत्र कानाराम चौधरी निवासी वरिया तगजी थाना बालोतरा व श्री गिराधारीसिंह पुत्र टिकमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी कालुड़ी हाल उचित मूल्य दुकानदार मेवानगर द्वारा नीला केरोसीन उपभोक्ताओं को वितरण नहीं कर, काला बाजारी के उद्देश्य से अवैध रूप से बेचान करना केरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993, राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से उक्त जब्तशुदा नीला रंग का केरोसीन 1497 लीटर राजसात करने एवं इसके अवैध परिवहन मे प्रयुक्त वाहन बिना नम्बरी सफेद बोलेरो पिकअप चैसिस नम्बर MA1ZCZGHKG1A18879 तथा ईंजन नम्बर GHG1A12893 का निस्तारण हेतु निवेदन किया गया है।

न्यायालय जिला कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाडमेर



Scanned by CamScanner

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस जवाब हेतु तलब किया गया। दौरान सुनवाई प्रकरण मे जब्तशुदा वाहन अप्रार्थी श्री नाथुसिंह को जमानत एवं सुपुर्दगीनामा पर सुपुर्द की गई एवं बरामद शुदा नीला केरोसीन 1497 लीटर का अंतरीम निस्तारण कर प्राप्त राशि रूपये 24042/– जरिये चालान दिनांक 14.09.2016 राजकोष अमानत मद मे जमा कराई गई है।

3. अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया। अप्रार्थी सं. 2 बावजूद पंजिबद्ध नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। अप्रार्थी सं. 3 व 4 सुनवाई दिनांक 01.03.2017 को स्वंय उपस्थित हुए किन्तु कोई जवाब प्रस्तुत नही किया एवं न ही इसके पश्चात सुनवाई हेतु न्यायालय मे उपस्थित रहे, जिसके फलस्वरूप एकपक्षीय सुना गया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि अप्रार्थी श्री नाथूसिंह वाहन मालिक बिना नम्बरी सफेद बोलेरो पिकअप वाहन व श्री शंकरलाल पुत्र श्री नारणाराम जाति प्रजापत निवासी गालानाडी पुलिस थाना सिणधरी द्वारा अपने वाहन का सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नीला केरोसीन कालाबाजारी हेतु अवैध परिवहन करने, कब्जे मे रखने, अवैध रूप से संग्रह करने तथा श्री मंगलाराम चौधरी पुत्र कानाराम चौधरी निवासी वरिया तगजी थाना बालोतरा व श्री गिराधारीसिंह पुत्र टिकमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी कालुड़ी हाल उचित मूल्य दुकानदार मेवानगर द्वारा नीला केरोसीन उपभोक्ताओं को वितरण नहीं कर, काला बाजारी के उद्देश्य से अवैध रूप से बेचान करना केरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993, राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से उक्त जब्तशुदा नीला रंग का केरोसीन 1497 लीटर राजसात करने एवं इसके अवैध परिवहन मे प्रयुक्त वाहन बिना नम्बरी सफेद बोलेरो पिकअप चैसिस नम्बर MA1ZCZGHKG1A18879 तथा ईंजन नम्बर GHG1A12893 राजसात किये जाने का आदेश फरमाया जावें। इसके जवाब मे अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब एवं प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया जिससे प्रकट होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर



Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र के तथ्य उनकी ओर से स्वीकृत है तथा प्रकरण मे मौन रहना भी उपराध की स्वीकारोक्ति है। ऐसे मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अप्रार्थीगण की स्वीकारोक्ति मानते हुए कोई अतिरिक्त साक्ष्य/गवाहान की आवश्यकता प्रतीत नही होने एवं मौन स्वीकृति को सर्वोत्तम साक्ष्य मानते हुए प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित विधि सम्मत प्रतीत होता हैं।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी श्री नाथूसिंह वाहन मालिक बिना नम्बरी सफेद बोलेरो पिकअप वाहन व श्री शंकरलाल पुत्र श्री नारणाराम जाति प्रजापत निवासी गालानाडी पुलिस थाना सिणधरी द्वारा अपने वाहन का सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नीला केरोसीन कालाबाजारी हेतु अवैध परिवहन करने, कब्जे मे रखने, अवैध रूप से संग्रह करने तथा श्री मंगलाराम चौधरी पुत्र कानाराम चौधरी निवासी वरिया तगजी थाना बालोतरा व श्री गिराधारीसिंह पुत्र टिकमसिंह जाति राजपुरोहित निवासी कालुड़ी हाल उचित मूल्य दुकानदार मेवानगर द्वारा नीला केरोसीन उपभोक्ताओं को वितरण नहीं कर, काला बाजारी के उद्देश्य से अवैध रूप से बेचान करना केरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993, राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से उक्त जब्तशुदा 1497 लीटर नीला रंग का केरोरीन एवं इसके अवैध परिवहन मे प्रयुक्त वाहन बिना नम्बरी सफेद बोलेरो पिकअप चैसिस नम्बर MA1ZCZGHKG1A18879 ईंजन नम्बर GHG1A12893 को राजसात किया जाता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय नजीर 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 कलक्टर गन्जम बनाम रमेशचन्द्र पाण्डे मे पारित निर्णय दिनांक 06.02.2009 के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जब्त किये गये वाहन की एवज मे वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण मे जब्त एवं इस न्यायालय द्वारा राजसात किये गये उक्त बिना नम्बरी सफेद बोलेरो पिकअप चैसिस नम्बर MA1ZCZGHKG1A18879 ईंज़न नम्बर GHG1A12893 के एवज मे उसके अनुमानित मूल्य पांच लाख का जुर्माना वाहन मालिक अप्रार्थी सं. 1 नाथूसिंह पुत्र श्री बसंतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी सुराणा पुलिस थाना सायला जिला जालोर पर अधिरोपित किया जाता है। यह जुर्माना राशि राजसात किये गये उक्त नीला केरोसीन की राशि के अतिरिक्त है, जो वाहन मालिक द्वारा उक्त जुर्माना राशि अदा कर दें तो उक्त राजसात किया गया वाहन उन्हे नियमानुसार

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाडमेर



Scanned by CamScanner

सुपर्द कर दिये जावें। यदि वाहन मालिक द्वारा जुर्माना राशि जमा नही करवाई जाती है तो जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को आदेश दिये जाते है कि वह राजसात किये गये उक्त वाहन सफेद बोलेरो पिकअप चैसिस नम्बर MA1ZCZGHKG1A18879 ईंजन नम्बर GHG1A12893 राज्य पक्ष मे निस्तारण करवावें। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 04.07.2016 की पालना मे जब्त किये गये नीला केरोसीन के अंतरीम निस्तारण के फलस्वरूप प्राप्त अमानत राशि अब नियमानुसार राज्य कोष मे नियत मद मे जमा कराई जावें।

6. आदेश आज दिनांक 09.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर



Scanned by CamScanner